न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

स्वर्गीय श्री तेजाराम पुत्र तोलाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही के उत्तराधिकारीगण :-

(1) स्वर्गीय श्री चेतन प्रकाश पुत्र तेजाराम जी, जाति-मेघवाल, निवासी- सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही के उत्तराधिकारीगण :-

1/1. श्रीमती प्रेमलता पत्नि स्व. श्री चेतनप्रकाश, जाति- मेघवाल, निवासी- सिरोही
1/2. श्री जीवन गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री चेतनप्रकाश, जाति- मेघवाल, निवासी- सिरोही
1/3. श्री सुनील गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री चेतनप्रकाश, जाति- मेघवाल, निवासी- सिरोही
1/4. श्री सुरेन्द्र गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री चेतनप्रकाश, जाति-मेघवाल, निवासी- सिरोही

(2) स्वर्गीय भंवरलाल गोयल पुत्र तेजाराम जी, जाति-मेघवाल, निवासी- सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही के उत्तराधिकारीगण :-

2/1. श्रीमती जमना पत्नि भंवरलालजी, जाति- मेघवाल, निवासी- सिरोही
2/2. स्वर्गीय गिरीश पुत्र भंवरलाल जी, जाति- मेघवाल, निवासी- सिरोही के उत्तराधिकारीगण :-

2/2/1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि गिरीश जी गोयल, जाति- मेघवाल, निवासी- सिरोही
2/2/2. परी उर्फ अदिती पुत्री गिरीश जी गोयल, जाति-मेघवाल, निवासी-सिरोही, नाबालिग की कुदरती वली माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नि गिरीश जी गोयल, निवासी- सिरोही
2/2/3. देवीना उर्फ ऐंजल पुत्री गिरीश जी मेघवाल, निवासी- सिरोही, नाबालिग की कुदरती वली माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नि गिरीश जी गोयल, जाति-मेघवाल, निवासी-सिरोही

(3) नितीन पुत्र भंवरलाल जी, जाति-मेघवाल, निवासी- सिरोही, तह. व जिला- सिरोही

प्रत्यर्थी **बनाम**

1. नगर परिषद्, सिरोही, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
   1/1. अध्यक्ष, नगर परिषद्, सिरोही
   1/2. आयुक्त, नगर परिषद्, सिरोही
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही
3. श्रीमती कमला पत्नि नवीन जी डांगी पुत्र स्वर्गीय तेजाराम जी, निवासी- 52, शिवाजी नगर, सिविल लाइन्स, सिरोही
4. श्रीमती सुन्दर पत्नि जगदीश प्रसाद जी डांगी पुत्री स्वर्गीय तेजारामजी, निवासी- 282 सी सरस्वती नगर, बासनी, जोधपुर

राजस्व अपील संख्याः 03/2018

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री फिरोज सिला[illegible], अपीलार्थीगण [illegible]
2. अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता, प्रत्यर्थी संख्या-1 ओर [illegible]
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:29 IST
Reason: SelfAttested

......पेज

आति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

राजस्व अपील संख्या: 03/2018

-: **निर्णय** :-

दिनांक 23 मार्च, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम सिरोही-II, पटवार हल्का सिरोही के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2220· दिनांक 08.12.2017 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या-1 (एक) की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पूर्व में अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित हुये। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या-1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता उपस्थित हुये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या-4 को सम्मन की तामिल होने पर नियत सुनवाई तिथि 16.7.2018 को प्रत्यर्थी संख्या- 4 (श्रीमती सुन्दर डांगी) इस न्यायालय में उपस्थित हुई, उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या-4 उपस्थित नही हुई। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या-3 (तीन) को इस न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या- 3 उपस्थित नही हुई। अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी संख्या- 1 (चेतन प्रकाश) व अपीलार्थी संख्या- 2/2 (गिरीश) की मृत्यु हो जाने से अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपीलार्थी संख्या-1 (चेतन प्रकाश) व अपीलार्थी संख्या- 2/2 (गिरीश) के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी संख्या-1 (चेतन प्रकाश) व अपीलार्थी संख्या-2/2 (गिरीश) के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये। तद्नुसार संशोधित अनवान प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रकरण में दिनांक 02.3.2022 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 जो कि स्वर्गीय तेजाराम जी पुत्र तोलाजी के पुत्र, पुत्री, पोते, पोतीया व पौत्रवधु है एवं स्वर्गीय तेजाराम जी के उत्तराधिकारी है। तेजाराम जी की पुश्तैनी कृषि भूमि सिरोही नगर में मय कुऐं के स्थित है। तेजाराम जी अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे जिन पर स्थानीय प्रशासन एवं प्रशासक, नगरपालिका, सिरोही ने दबाव देकर उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि में से कुछ भूमि व कुआं छोडकर शेष कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये नगरपालिका (वर्तमान नगर परिषद) सिरोही के लिये क्रय थी। स्वर्गीय तेजाराम जी अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे एवं क्रेता अनुसूचित जाति का नही होने से इस विक्रय प्रलेख व उसका पंजीयन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 व भारतीय पंजीयन अधिनियम के तहत विपरित होने से तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने इस विक्रय पंजीयन को विधि विरुद्ध माते हुए विक्रय विलेख के आधार पर नगरपालिका के पक्ष में नामान्तरकरण नही भरा व नगरपालिका के नाम से खातेदारी दर्ज नही की। यह कि नामान्तरकरण संख्या 2220 पटवारी हल्का द्वारा [illegible] तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 29.6.2005 को खारिज कर दिया था। प्र[illegible] में [illegible]सीलदार, सिरोही को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 [illegible] करने के निर्देश दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:29 IST
Reason: SelfAttested

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जाने पर यह कार्यवाही हुई जो दोनों बार सक्षम न्यायालय से खारिज हुई। नगरपालिका, सिरोही ने स्वर्गीय तेजाराम जी के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 15.9.2006 एवं न्यायालय के आदेश दिनांक 29.12.2006 को चुनौती दी एवं इस रिट याचिका संख्या 1251/2008 में दिनांक 11.10.2017 को निर्णय किया गया जिसमें राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.9.2006 व आदेश न्यायालय दिनांक 29.12.2006 को सेट एसाईड करने व नामान्तरकरण संख्या 2220 जो नगर पालिका के हक में पटवारी हल्का द्वारा भरा गया था जो भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तथ्यों के अंकन सही होने व तहसीलदार द्वारा मार्गदर्शन आने पर प्रस्तुत करने के इन्द्राज को कन्फर्म करने का निर्णय दिया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ एक आवेदन नगरपरिषद्, सिरोही की ओर से उपखण्ड अधिकारी, सिरोही को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर वाद खारिज किया जावे। जिस पर न्यायालय ने राज्य सरकार के पेरोकार, स्वर्गीय तेजाराम जी के अधिवक्ताा एवं नगर परिषद् के अधिवक्ता से आवेदन पर सुनवाई कर आवेदन को स्वीकार कर वाद को खारिज करने का निर्णय दिया। उसके वाद संख्या 52/2007 निर्णय दिनांक 27.11.2007 है। राज्य सरकार को स्वर्गीय तेजाराम जी की विक्रय की गई भूमि में कोई रुचि नही रहने से व पूर्व में नगरपालिका द्वारा विक्रय के लिये दी गई रकम को 6 प्रतिशत ब्याज से लौटाये जाने की मांग से स्पष्ट हो गया कि नगर परिषद् को भी इस भूमि में कोई रुचि नही है। स्वर्गीय तेजाराम जी के उत्तराधिकारियों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2017 को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डिवीजन बेंच में अपील कर चुनौती दी है। उसके बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की डिवीजन बेंच द्वारा स्पेशल अपील रिट संख्या 1103/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.8.2019 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में रिट/अपील प्रस्तुत की है जो अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है एवं जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में कोई निर्णय नही होता है, तब तक राजस्व रेकर्ड की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल रखी जानी आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने राजस्थान सरकार के वित्त (कर) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(26)वित्त/कर/2019 दिनांक 03.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि को गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के अलावा किसी भी संस्था, ट्रस्ट, कम्पनी को भी हस्तान्तरित नही की जा सकती है। अपीलार्थीगण के वकील ने बहस के दौरान राजस्व (ग्रूप-7) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक:प.3(136)राज-7/2008/15/2019 दिनांक 04.8.2019 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि राज्य सरकार के इस पत्र द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही को निर्देश दिये गये है कि तहसीलदार, सिरोही को आदेश जारी कर राजीव नगर आवासीय योजना की उक्त भूमि की पूर्व स्थिति रिट संख्या 1[illegible] एस.सी. जाति के खातेदार का नाम राजस्व रेकर्ड में कायम रखते हुए [illegible] काश्तकार वसीयत अनुसार छगनलाल पुराजी मेघवाल के नाम [illegible] दरामद कराने का

....पेज चार पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:29 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही राज.)

श्रम करे। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रूप-6) विभाग के स्पष्टीकरण परिपत्र क्रमांक प.6(54)राज-6/2001-पार्ट/21 दिनांक 19.11.2005 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा खातेदारी भूमि का अन्तरण केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही किया जा सकता है। ऐसे विक्रय विलेख का पंजीयन संबंधित उप उपंजीयक द्वारा नही किया जायेगा तथा यदि कोई पंजीकरण कर भी दिया गया हो तो नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही नही की जायेगी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भी धारा 90 बी के अर्न्तगत कार्यवाही नही की जा सकती है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा नगर परिषद्, सिरोही के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश नही दिये है एवं मामला अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है तथा जब तक मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है तब तक अनुसूचित जाति के व्यक्ति तेजाराम जी की खातेदारी कृषि भूमि जो प्रश्नगत नामान्तरकरण के द्वारा नगर परिषद्, सिरोही के नाम दर्ज की गई है को पूर्ववर्ती स्थिति बहाल रखी जाना न्यायोचित है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2220 के स्वीकृति आदेश को निरस्त करने व राजस्व रेकर्ड की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने के आदेश पारित किय जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या-1 (नगर पारिषद्, सिरोही) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट संख्या 1251/2008 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 की पालना में तहसीलदार, सिरोही द्वारा नगर पालिका, सिरोही (वर्तमान नगर परिषद्, सिरोही) के पक्ष में दायर नामान्तरकरण संख्या 2220 को दिनांक 08.12.2017 को स्वीकृत किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 के विरुद्ध अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्ड पीठ में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्ड पीठ द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या: 1103/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.8.2019 के द्वारा नगर परिषद्, सिरोही को अपीलार्थी संख्या 1 से 4 अर्थात इस अपील के अपीलार्थी संख्या 1 व 2 तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 प्रत्येक को 30x60 कुल 1800 वर्गफीट का भूखण्ड निःशुल्क दिये जाने के आदेश पारित किये गये है। चूंकि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2220 को तहसीलदार, सिरोही द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त निर्णय दिनांक 11.10.2017 की पालना में स्वीकृत किया गया है एवं अभी तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 प्रभाव में है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने भी बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त निर्णय दिनांक 11.10.2017 की पालना में स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया [illegible] पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया [illegible] सिरोही द्वारा ग्राम सिरोही द्वितीय, पटवार हल्का [illegible] जाराम पुत्र तोला जी, जाति-

....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:29 IST
Reason: SelfAttested

मेघवाल, निवासी- सिरोही की खातेदारी भूमि का नगर पालिका, सिरोही (वर्तमान नगर परिषद्, सिरोही) के पक्ष में दायर नामान्तरकरण संख्या 2220 को तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 08.12.2017 को स्वीकृत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि तहसीलदार, सिरोही ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 2220 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट संख्याः 1251/2008 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 की पालना में स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:29 IST
Reason: SelfAttested